भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **683**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022/18 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की मांग एवं आपूर्ति

683. श्री भागीरथ चौधरी:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सितंबर से दिसंबर, 2022 तक उर्वरकों की मांग और की गई वास्तविक आपूर्ति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और माह-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में उर्वरक की कमी की समस्या, केंद्र सरकार के संज्ञान में लाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य को प्रदान की गई सहायता/समर्थन का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरकों की कमी हो गई है और उर्वरक कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसके कारण किसानों को इसे खरीदने के लिए अधिक धनराशि का भुगतान करना पड़ता है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) सरकार द्वारा भारत को उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

<u>उत्तर</u>

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(भगवंत खुबा)

(क): देश में सितंबर, 2022 से दिसंबर, 2022 तक उपलब्धता के साथ-साथ उर्वरकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा माह-वार आवश्यकता का ब्यौरा **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

(ख): चालू रबी 2022-23 मौसम के लिए राजस्थान राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता सहज रही है।

(ग) से (च): सभी राज्यों में उर्वरकों की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से और समय पर पूरा करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं:-

(i) प्रत्येक फसली मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की आवश्यकता का राज्य-वार और माह-वार आकलन करता है।

(ii) अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में राजसहायता प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे मार्कफेड आदि जैसी अपनी राज्य संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से रेलवे रेकों के लिए समय पर मांग पत्र प्रस्तुत करके आपूर्तियों को सरल बनाने के लिए उर्वरकों के विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय करें।

(v) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग (डीओएफ) द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि पदाधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(vi) यूरिया तथा अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को समय पर आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मौसम के लिए आयात को भी समय से पहले ही अंतिम रूप दे दिया जाता है।

भारत सरकार ने यूरिया की स्वदेशी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए 63.5 एलएमटी की कुल क्षमता के साथ फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआईएल) की रामागुंडम (तेलंगाना), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), सिंदरी (झारखंड), तलचर (ओडिशा) इकाई तथा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बरौनी (बिहार) इकाई के पुनरुद्धार का अधिदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, उर्वरक विभाग ने फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की मांग को पूरा करने हेतु मध्य भारत एग्रो प्रॉडक्ट लिमिटेड यूनिट-II, आरसीएफ-थल, एफएसीटी-कोच्चि तथा पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड को क्रमश: 1.2 एलएमटी, 5 एलएमटी, 5.5 एलएमटी तथा 8 एलएमटी की संस्थापित क्षमता के साथ डीएपी/एनपीके संयंत्र लगाए जाने की अनुमति दी है। खान मंत्रालय, जीएसआई, एमईसीएल तथा पीडीआईएल के परामर्श से डीएपी तथा अन्य उर्वरकों के लिए कच्चे माल हेतु भारत में खनिजों की तलाश करने के कार्य को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त, स्वदेशी पीडीएम (शीरे से प्राप्त पोटाश) को एनबीएस स्कीम के तहत शामिल किया गया है।

किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर प्रदान की जाती है। यूरिया की 45 कि.ग्रा. की बोरी का एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी है (जिसमें नीम लेपन के लिए प्रभार और यथा लागू कर शामिल नहीं हैं)। फार्मगेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माता/आयातक को राजसहायता के रूप में दिया जाता है।

पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत पीएण्डके उर्वरकों की कीमतें विनियंत्रित हैं, राजसहायताप्राप्त पीएंडके उर्वरकों पर उनके पोषकतत्व अवयव के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर निर्णीत राजसहायता की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। इस नीति के तहत, बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार एमआरपी उर्वरक कंपनियों द्वारा तर्कसंगत स्तर पर नियत की जाती है जिसकी भारत सरकार द्वारा निगरानी की जाती है। इस प्रकार, पीएंडके उर्वरकों की कीमतें विनियंत्रित हैं और उर्वरक कंपनियों द्वारा स्वयं तय की जाती हैं।

तथापि, तैयार पीएण्डके उर्वरकों के साथ-साथ उनके कच्चे मालों की बढ़ती वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कीमतों के मद्देनजर, भारत सरकार ने पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत पीएंडके उर्वरक राजसहायता को वर्ष 2021-2022 हेतु 20.05.2021 और 13.10.2021 को (डीएपी और सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले 3 एनपीके उर्वरकों पर विशेष छूट देते हुए) बढ़ायी, तत्पश्चात खरीफ-2022 (01.04.2022 से 30.09.2022 तक लागू) हेतु पुनः इसे पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया और अंत में रबी-2022 (1.10.2022 से 31.03.2023 तक लागू) के लिए लगभग उसी स्तर को बनाये रखा गया है ताकि ये उर्वरक किसानों को वहनीय कीमतों पर उपलब्ध कराये जा सकें। एनबीएस स्कीम के तहत पोषकतत्वों अर्थात एन,पी,के और एस हेतु प्रति कि.ग्रा. राजसहायता दरें निम्नानुसार हैं:-

क्रम. सं.	**पोषकतत्व**	**एनबीएस (रु. प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) (01.04.2021 से 19.05.2021 तक)**	**एनबीएस (रु. प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) (20.05.2021 से 31.03.2022 तक)****	**एनबीएस (रु. प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) (01.04.2022 से 30.09.2022 तक)**	**एनबीएस (रु. प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) (01.10.2022 से 31.03.2023 तक)**
1.	एन	18.789	18.789	91.96	98.02
2.	पी	14.888	45.323	72.74	66.93
3.	के	10.116	10.116	25.31	23.65
4.	एस	2.374	2.374	6.94	6.12

** किसानों को वहनीय कीमतों पर पीएण्डके उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए डीएपी हेतु 8769 रुपए/एमटी और 3 सर्वाधिक खपत होने वाले एनपीके उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड (10:26:26, 20:20:0:13 और 12:32:16) हेतु 2000 रुपए/एमटी की दर पर अतिरिक्त राजसहायता के साथ एक विशेष एकबारगी पैकेज (01.10.2021 से 31.3.2022 तक लागू) प्रदान किया गया।

उर्वरक विभाग रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण प्रभावित हुई उर्वरकों की आपूर्ति की निगरानी अन्य मंत्रालयों-विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य विभाग आदि के साथ परामर्श से कर रहा है ताकि वैकल्पिक स्रोतों से पीएण्डके उर्वरकों के दीर्घावधि करार और लघु अवधि आयात को सुविधाजनक बनाया जा सके।

****

अनुलग्नक-क

सितम्बर 2022 के लिए उर्वरक समूह की आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी बिक्री

<आंकड़े लाख मी.टन में>

		यूरिया			पीएण्डके		
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
2	आंध्र प्रदेश	2.05	4.97	1.76	2.95	7.00	2.81
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	0.19	0.62	0.29	0.11	0.46	0.13
5	बिहार	2.40	3.57	2.23	0.65	3.15	0.78
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	0.50	2.11	0.50	0.23	1.05	0.20
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.01	0.03	0.01	0.00	0.02	0.01
11	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
12	गुजरात	1.40	4.72	1.86	0.70	3.45	1.44
13	हरियाणा	1.00	2.97	0.82	0.47	1.87	0.97
14	हिमाचल प्रदेश	0.03	0.15	0.06	0.04	0.08	0.04
15	जम्मू और कश्मीर	0.05	0.27	0.05	0.02	0.14	0.02
16	झारखंड	0.15	0.92	0.31	0.08	0.48	0.09
17	कर्नाटक	2.00	3.77	1.68	2.52	7.15	3.08
18	केरल	0.12	0.26	0.10	0.29	0.53	0.18
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	1.50	4.97	2.38	2.48	5.63	1.97
21	महाराष्ट्र	1.86	7.47	1.80	2.72	8.66	2.16
22	मणिपुर	0.00	0.09	0.03	0.00	0.07	0.01
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.01	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01
25	नगालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	0.70	2.20	0.87	0.50	1.82	0.72
27	पुदुचेरी	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01
28	पंजाब	1.00	4.42	0.85	0.20	2.45	1.09
29	**राजस्थान**	**1.20**	**2.84**	**1.73**	**0.77**	**2.11**	**1.51**
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	1.07	1.63	0.71	1.09	3.48	0.97
32	तेलंगाना	1.25	6.11	2.63	1.65	5.16	2.14
33	त्रिपुरा	0.02	0.16	0.06	0.00	0.06	0.01
34	उत्तराखंड	0.06	0.20	0.07	0.11	0.27	0.05
35	उत्तर प्रदेश	4.00	15.98	5.43	2.65	8.26	2.54
36	पश्चिम बंगाल	1.10	4.43	1.31	1.48	4.51	1.74
	कुल	**23.67**	**74.96**	**27.59**	**21.74**	**67.93**	**24.68**

स्रोत: आईएफएमएस डैशबोर्ड

अक्तूबर 2022 के लिए उर्वरक समूह की आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी बिक्री							
< आंकड़े लाख मी.टन में >							
		यूरिया			पीएण्डके		
क्र.सं.	राज्य का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
2	आंध्र प्रदेश	1.29	4.00	1.11	3.41	6.20	1.88
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	0.40	0.68	0.16	0.17	0.46	0.08
5	बिहार	2.10	2.82	0.97	1.52	3.90	1.25
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	0.67	1.87	0.12	0.38	0.89	0.09
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02	0.01
11	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
12	गुजरात	2.30	4.74	1.59	1.55	3.59	1.42
13	हरियाणा	2.20	4.23	1.36	1.17	2.02	1.43
14	हिमाचल प्रदेश	0.04	0.14	0.05	0.08	0.11	0.04
15	जम्मू और कश्मीर	0.02	0.26	0.03	0.03	0.12	0.02
16	झारखंड	0.20	0.79	0.11	0.20	0.49	0.06
17	कर्नाटक	1.34	3.67	1.17	2.22	6.07	1.47
18	केरल	0.16	0.29	0.11	0.30	0.56	0.20
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	6.00	5.77	3.07	5.15	6.79	3.52
21	महाराष्ट्र	1.47	7.17	1.16	1.99	8.98	1.41
22	मणिपुर	0.00	0.06	0.01	0.00	0.06	0.00
23	मेघालय	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
25	नगालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	0.35	1.60	0.30	0.24	1.24	0.17
27	पुदुचेरी	0.02	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01
28	पंजाब	3.50	6.99	1.45	3.20	3.34	1.39
29	**राजस्थान**	**4.00**	**4.01**	**2.57**	**1.68**	**2.51**	**1.73**
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	1.49	2.19	1.18	1.53	4.03	1.35
32	तेलंगाना	1.50	4.45	0.96	1.50	4.03	0.75
33	त्रिपुरा	0.03	0.13	0.01	0.02	0.05	0.00
34	उत्तराखंड	0.08	0.24	0.04	0.07	0.33	0.09
35	उत्तर प्रदेश	5.25	16.04	2.08	7.00	10.04	4.64
36	पश्चिम बंगाल	1.21	4.02	0.81	2.38	4.35	1.11
	कुल	**35.65**	**76.25**	**20.50**	**35.82**	**70.23**	**24.13**
स्रोत: आईएफएमएस डैशबोर्ड							

नवम्बर 2022 के लिए उर्वरक समूह की आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी बिक्री							
<आंकड़े लाख मी.टन में>							
		यूरिया			पीएण्डके		
क्र.सं.	राज्य का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.85	4.05	1.22	1.99	6.10	2.08
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	0.34	0.76	0.32	0.15	0.51	0.17
5	बिहार	2.50	3.35	2.06	2.18	5.06	3.10
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	0.56	2.03	0.23	0.32	0.88	0.17
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.03	0.05	0.03	0.01	0.02	0.01
11	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
12	गुजरात	2.50	5.80	3.45	1.56	3.86	2.20
13	हरियाणा	2.80	4.65	3.29	1.17	1.50	1.12
14	हिमाचल प्रदेश	0.04	0.13	0.04	0.06	0.12	0.05
15	जम्मू और कश्मीर	0.08	0.30	0.05	0.09	0.20	0.07
16	झारखंड	0.25	0.77	0.17	0.11	0.54	0.13
17	कर्नाटक	1.10	3.57	0.91	1.33	5.96	1.27
18	केरल	0.12	0.32	0.13	0.28	0.57	0.21
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	7.00	8.11	5.91	2.85	6.23	4.02
21	महाराष्ट्र	1.76	7.30	1.62	2.39	10.03	2.80
22	मणिपुर	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00
23	मेघालय	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नगालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	0.18	1.39	0.12	0.22	1.23	0.10
27	पुदुचेरी	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01
28	पंजाब	4.50	8.70	3.96	2.85	3.41	2.15
29	**राजस्थान**	**4.00**	**6.10**	**5.12**	**1.07**	**1.76**	**1.31**
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	1.46	2.10	1.23	1.35	3.81	1.46
32	तेलंगाना	1.50	4.68	0.47	1.40	4.43	0.76
33	त्रिपुरा	0.01	0.15	0.01	0.00	0.05	0.01
34	उत्तराखंड	0.22	0.38	0.18	0.08	0.34	0.17
35	उत्तर प्रदेश	7.75	19.72	7.53	7.20	10.66	8.00
36	पश्चिम बंगाल	1.22	4.05	1.35	2.38	5.54	2.60
	कुल	**40.79**	**88.57**	**39.42**	**31.05**	**72.91**	**33.98**

स्रोत: आईएफएमएस डैशबोर्ड

दिसम्बर 2022 (06.12.2022 तक) के लिए उर्वरक समूह की आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी बिक्री							
							<आंकड़े लाख मी.टन में>
		यूरिया			पीएण्डके		
क्र.सं.	राज्य का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.22	2.99	0.26	0.39	4.26	0.40
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	0.06	0.50	0.06	0.02	0.34	0.03
5	बिहार	0.64	1.71	0.61	0.34	2.27	0.53
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
7	छत्तीसगढ़	0.07	1.80	0.07	0.04	0.71	0.05
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.01	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00
11	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
12	गुजरात	0.52	2.95	0.77	0.20	1.88	0.24
13	हरियाणा	0.54	1.79	0.74	0.09	0.56	0.07
14	हिमाचल प्रदेश	0.02	0.09	0.01	0.02	0.07	0.01
15	जम्मू और कश्मीर	0.02	0.24	0.01	0.01	0.12	0.01
16	झारखंड	0.04	0.63	0.05	0.02	0.42	0.03
17	कर्नाटक	0.20	2.79	0.18	0.24	4.81	0.24
18	केरल	0.02	0.21	0.02	0.05	0.38	0.04
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	0.97	3.07	1.05	0.32	2.56	0.39
21	महाराष्ट्र	0.38	5.62	0.43	0.51	7.58	0.53
22	मणिपुर	0.00	0.05	0.00	0.00	0.06	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नगालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	0.02	1.24	0.02	0.06	1.13	0.02
27	पुदुचेरी	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00
28	पंजाब	0.63	4.83	1.24	0.03	1.33	0.20
29	**राजस्थान**	**0.68**	**1.89**	**0.88**	**0.09**	**0.65**	**0.13**
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	0.18	1.05	0.21	0.21	2.48	0.24
32	तेलंगाना	0.29	4.40	0.13	0.26	3.83	0.20
33	त्रिपुरा	0.01	0.11	0.00	0.00	0.04	0.00
34	उत्तराखंड	0.06	0.20	0.05	0.02	0.18	0.01
35	उत्तर प्रदेश	1.74	13.20	2.14	0.65	3.90	0.90
36	पश्चिम बंगाल	0.30	2.79	0.30	0.38	3.24	0.50
	कुल	**7.62**	**54.19**	**9.25**	**3.94**	**42.87**	**4.77**

स्रोत: आईएफएमएस डैशबोर्ड

 # आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के आंकड़े 06 दिसम्बर, 2022 तक के हैं

—x—